ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/2213/2003/सवाईमाधोपुर रामफल बनाम चिरंजी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री इन्द्र सिंह राव, सदस्य

उपस्थितः–
श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
अप्रार्थी सं0 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

––

निर्णय

दिनांकः 11.06.18

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, गंगापुरसिटी द्वारा वाद सं0 78/94में पारित किए गए आदेश दिनांक 10–04–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा प्रार्थी का प्रा0 पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 17 सी0पी0सी0 खारिज कर दिया गया।

हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि उपखण्ड अधिकारी, गंगापुरसिटी आदेश 18 नियम 17 सी0पी0सी0 को समझने में विफल रहे है तथा उन्होंने उक्त प्रा0 पत्र को खारिज करने में अपनी अधिकारिता का दुरूपयोग किया है। उनका तर्क था कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत वाद में उत्पन्न कन्ट्रोवर्सी एवं पक्षकारान के मध्य अंतिम रूप से निर्णय किए जाने को ध्यान में रखते हुए पुनः बयान देने की स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए थी तथा उपखण्ड अधिकारी पर बयान लिए जाने के लिए कोई रेस्ट्रेक्शन थे तो केवल साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों पर बिना विचार किए बिना प्रार्थी के प्रा0 पत्र को खारिज करने का अधिकार नहीं था। उनका यह भी तर्क था कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी के प्रा0 पत्र को खारिज करने का कोई उचित कारण अपने आदेश में अंकित नहीं किया। उनका तर्क था कि

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/2213/2003/सवाईमाधोपुर रामफल बनाम चिरंजी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उपखण्ड अधिकारी का यह मानना गलत है कि उनके आदेश दिनांक 24-10-02 द्वारा पूर्व में ही वादी का प्रा0 पत्र अस्वीकार कर दिया गया जबकि उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 13 नियम 3 के अन्तर्गत था। उक्त दोनों प्रा0 पत्रों का क्षैत्र अलग अलग है। अधीनस्थ न्यायालय का यह मानना भी गलत है कि वादी प्रा0 पत्र पेश कर मुकदमें को लम्बा करना चाहता है, क्योंकि वादी स्वंय अपने अधिकारों की घोषणा हेतु वाद लाया है, जिसे वाद लम्बा करने में कोई लाभ नहीं है। उनका यह भी तर्क था कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रतिवादी स्वंय द्वारा भले ही प्रदर्श नहीं किया जा सकता हो किन्तु यदि उस दस्तावेज को लिखने वाला व्यक्ति गवाह के रूप में आता है और उस दस्तावेज पर उसको लिखने वाले के बयान के जरिये उक्त दस्तावेज को प्रदर्श किया जा सकता है किन्तु आदेश 18 नियम 17 में प्रदर्श करने संबंधी कोई प्रार्थी की प्रार्थना नहीं थी। अन्त में उन्होंने तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय,नियम एवं अभिलेख के विपरीत है। अतः निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 10-04-2003 निरस्त किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 17 सी0पी0सी0 को स्वीकार किया जावें। हमने योग्य अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी का तर्क रहा है कि यदि वादी का प्रा0 पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 17 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है तो प्रतिवादी को वादी से जिरह करते समय आदेश 13 नियम 3 सी0पी0सी0 में सबूत दस्तावेज पेश करने का मौका दिया जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रा0 पत्र इस	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/2213/2003/सवाईमाधोपुर रामफल बनाम चिरंजी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आधार पर खारिज किया है कि उनके द्वारा पूर्व में दिनांक 24-10-2002 को भी इसी प्रकार की प्रार्थना अस्वीकार की जा चुकी थी, अतः यह प्रा0 पत्र मात्र प्रकरण को लंबित रखने के उदेश्य से पेश किया गया है। हमारी सुविचारित राय में पक्षकारान के मध्य विवाद के अंतिम रूप से निस्तारण हेतु यह उचित होगा कि प्रार्थी का प्रा0 पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 17 सी0पी0सी0 न्यायहित में स्वीकार किया जाकर उसे पुनः बयान का मौका प्रदान किया जावें।

उक्त तथ्यात्मक एवं चिधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में निगरानी स्वीकार की जाती है उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर सिटी द्वारा वाद सं0 78/94 में पारित किए गए आदेश दिनांक 10-04-2003 को निरस्त किया जाता है तथा वादी का प्रा0 पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 17 सी0पी0सी0 स्वीकार कर उसे पुनः बयान करवाने का एक अंतिम अवसर दिया जाता है।

निर्णय की सूचना योग्य अधिवक्ता प्रार्थी को दी जावे व निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
सदस्य